

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग।

सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक-18.07.2024 को विभागीय योजनाओं की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की गई समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही—

सर्वप्रथम समीक्षात्मक बैठक में उपस्थित सभी विभागीय पदाधिकारियों/अभियंताओं का स्वागत किया गया एवं विभागीय योजनाओं यथा—“हर खेत तक सिंचाई का पानी” कार्यक्रम एवं “मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना” योजनाओं की समीक्षा की गई।

“हर खेत तक सिंचाई का पानी”:-

1. लघु सिंचाई प्रमण्डल, बाँका द्वारा अबतक 102 योजनाओं का DPR कराया गया है, इसके अतिरिक्त 86 योजनाओं का प्री-लेवल कार्य सम्पादित किया गया है। अधिक संख्या में DPR तैयार करने हेतु निदेश दिया गया।
2. लघु सिंचाई प्रमण्डल, गया को अगले सप्ताह तक सभी योजनाओं का प्री-लेवल का कार्य पूरा करने हेतु निदेश दिया गया।
3. लघु सिंचाई प्रमण्डल, जमुई अन्तर्गत DPR तैयार किए जाने एवं प्री-लेवल कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। जबकि प्रमण्डलान्तर्गत 07 कनीय अभियन्ता, 07 सहायक अभियन्ता एवं जिला से उपलब्ध कराए गए 07 कनीय अभियन्ता कार्यरत हैं। पर्याप्त संख्या में अभियन्ता उपलब्ध रहने के बावजूद DPR कम संख्या में उपलब्ध कराया गया है। कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, जमुई से स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया।
4. लघु सिंचाई प्रमण्डल, गया, औरंगाबाद, भागलपुर का उपलब्ध कराया DPR से इसके अतिरिक्त ली गई प्री-लेवल की प्रगति 60-80 प्रतिशत तक है। इन जिलों में अगले सप्ताह तक प्रगति 80 प्रतिशत से अधिक करने हेतु निदेश दिया गया।
5. कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, लखीसराय द्वारा बताया गया है कि अगले सप्ताह सभी योजनाओं का DPR तैयार कर ली जाएगी।
6. निदेश दिया गया कि मुख्य सचिव महोदय की अगली बैठक के पूर्व जिन जिलों में अधिक लक्ष्य है वहाँ कम-से-कम 50% और जहाँ कम है वहाँ 75% DPR तैयार करा लिया जाए। अगली बैठक में कोई भी जिला Red Zone में नहीं रहना चाहिए। केवल Green या Yellow Zone में रहना चाहिए।

दिनांक-18.07.2024 को सचिव, लघु जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में हुई बैठक (VC के माध्यम से) की कार्यवाही:-

मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना

1. सहायक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, अररिया एवं पश्चिम चंपारण को निदेशित किया गया कि जिलाधिकारी से संपर्क स्थापित कर अंचलों में शिविर का आयोजन कर कृषकों का LPC निर्गत करवाकर पोर्टल पर अपलोड करें।
2. लघु सिंचाई प्रमंडल, मोतिहारी अंतर्गत कुल-785 किसानों ने "मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना" के लिए सहमति दी थी, जिनमें से मात्र 36 कृषकों का ही LPC पोर्टल पर अपलोड की गई है, जिसके संबंध में कार्यपालक अभियंता से स्पष्टीकरण पृच्छा करने हेतु निदेशित किया गया।
3. लघु सिंचाई प्रमंडल, सिवान में कुल-518 किसानों ने निजी नलकूप का लाभ लेने हेतु सहमति दी थी, जिनमें से मात्र 40 कृषकों का ही LPC पोर्टल पर अबतक अपलोड किया गया है, जिनमें से केवल 12 आवेदकों का LPC गत सप्ताह पोर्टल पर प्राप्त हुआ है, जिसके संबंध में कार्यपालक अभियंता से स्पष्टीकरण पृच्छा करने हेतु निदेशित किया गया।
4. सभी कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि 10 दिनों के अंदर शेष LPC निर्गत कराने एवं जिन प्रमंडलों ने LPC पोर्टल पर अपलोड कर दिए हैं, उन सभी आवेदनों की स्वीकृति अगले सप्ताह तक देना सुनिश्चित करेंगे।

राजकीय नलकूप

1. सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेशित किया गया कि निम्न प्रपत्र में वांछित सूचना उपलब्ध करायेंगे :-

कुल नलकूपों की संख्या	चालू नलकूप	विगत दो माह में चालू किये गये नलकूपों की संख्या

2. सभी कार्यपालक अभियंताओं को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सभी नलकूपों को चालू करने एवं उक्त की मरम्मत हेतु अधियाचना विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।
3. सभी कार्यपालक अभियंताओं को पोर्टल पर प्रदर्शित आँकड़ों के आधार पर समीक्षा बैठक में तैयारी कर भाग लेने हेतु निदेशित किया गया।
4. "हर खेत तक सिंचाई का पानी" अंतर्गत सर्वेक्षित 589 राजकीय नलकूपों को प्राथमिकता देकर यथाशीघ्र चालू कराने के लिए त्वरित कार्यवाई किया जाय।

स-धन्यवाद बैठक की कार्यवाई समाप्त की गयी।

ह/—

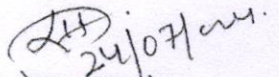
(दयानिधान पाण्डेय)

सचिव,

लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 947C2107 / पटना, दिनांक:- 24.7.24

प्रतिलिपि:-सभी कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल/सभी अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल/सभी मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

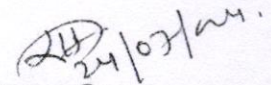

(राजेश कुमार)

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,

लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 947C2107 / पटना, दिनांक:- 24.7.24

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियन्ता, (योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ)/अधीक्षण अभियन्ता, (मुख्यालय) योजना एवं स्थापना/अधीक्षण अभियन्ता, (मुख्यालय) रूपांकण, अन्वेषण, गुण नियंत्रण/अधीक्षण अभियन्ता, (मुख्यालय) उड़नदस्ता/अधीक्षण अभियन्ता, (प्रभारी) नलकूप कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

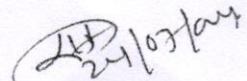


अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,

लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 947C2107 / पटना, दिनांक:- 24.7.24

प्रतिलिपि:-संयुक्त सचिव/अपर सचिव/विशेष सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

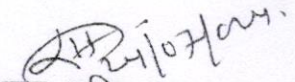


अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,

लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 947C2107 / पटना, दिनांक:- 24.7.24

प्रतिलिपि:-सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

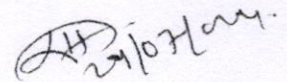


अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,

लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 947C2107 / पटना, दिनांक:- 24.7.24

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।



अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,

लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।